

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 5-60/2008/10-2

रायपुर, दिनांक 04/09/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) - 440001 ।

विषय:- Diversion of 21.293 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resources Division No. 02 Ramanujganj For construction of Canal of Khutpali Diversion Scheme for Irrigation, area - 21.293 ha.

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक FC-II/CH-54/2017-NGP/1936, दिनांक 21.06.2017 ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/सिंचाई/425-56/2641, दिनांक 26.08.2017 ।

---00---

विषयांतर्गत प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से आपको प्रेषित की गई है। जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

2 /- आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।



(श्रीधर नायडू)

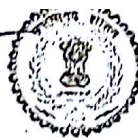
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक 09/09/2017

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-60/2008/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त सरगुजा ।
 3. वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर ।
 4. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-2 अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/सिंचाई/425-56/2641

रायपुर, दिनांक 26/08/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग - भू तल
न्यू सेक्रेटियेट भवन - VCA स्टेडियम के सामने
सिविल लाईन, नागपुर - 440001

पृष्ठ क्र. 2754/10-21 व
दिनांक 01/09/2017

विषय: - Diversion of 21.923 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Water Resources Division No. 02 Ramanujanj For Construction of Canal of Khutpali Diversion Scheme for Irrigation, area - 21.293 ha. Regarding.

संदर्भ: - पंजीयन क्रमांक PF/CG/IRRIG/13417/2015

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-54/2017-NGP, 1936 दिनांक 21.06.2017
- वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल का पत्र क्र/ मा. चि/ 2017/ 1354 दिनांक 21.08.2017

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र - 1 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 6 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

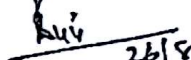
संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से उक्त जानकारी वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	Forest patch wise area calculation statement, indication the length and breadth, forest density may be submitted by the State Government along with detail of patches which are being bifurcated from the transmission line.	पैच वाईज ऐरिया संलग्न है (प्रदर्श-‘अ’)।
2	Alignment of canal may be depicted on a map of appropriate scales via-avis forest area and their bifurcation being effected from the construction of canal.	जानकारी संलग्न है (प्रदर्श-‘ब’)।
3	Information on the availability of the land bank of Revenue Forest Land in the State should be obtained from the State Government. District wise details of area available under Revenue Forest Land may be categorized into categories of 0.5 ha. 10 ha. and more by the State Government and the same may be submitted to the Regional Office. The Committee further opined that State Government may be requested to explore the possibility of raising CA over Revenue Forest Land or Government Revenue Land in the instant case and accordingly, proposal for CA may be revised.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रदर्श-‘स’)।

4	The committee taking cognizance of the repeated violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 recorded its displeasure, and desired to obtain from the State Government, a detailed violation report in the matter and credible action taken against the offenders.	प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए निम्नानुसार अधिकारी / ठेकेदार दोषी पाये गये है 1. श्री उमाशंकर राम, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, 2. श्री विनोद कुमार भगत, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज। 3. श्री राजकुमार पैकरा, उप अभियंता, बरनई स्पीलवे संभाग बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज 4. श्री सुनिल कुमार अग्रवाल ए-5 क्लास ठेकेदार रायगढ़, छ.ग। प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा आवेदक संस्थान के विरुद्ध दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (42.586 हे.) अधिरोपित किया जाना एवं ठेकेदार के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कोर्ट चालान किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन संलग्न है। (प्रदर्श-“डी”)
5	Reasons may be furnished by the State Government as to why no cognizance of the offence was taken during the intervening period along with the details of the officers/Staff of the user Agency and the State Forest Department who have ignored such violations and a report on actions taken against them.	वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा कार्य को पूर्णतः बंद करा दिया गया है वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी दोषी नहीं है।

वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल द्वारा अनुशंसा सहित प्रेषित प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


 (एस. एस. बजाज)
 अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
 छत्तीसगढ़

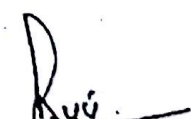
पृ. क्र०/भू-प्रबंध/सिंचाई/425-56/2642-

रायपुर, दिनांक 26/08/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।


 अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
 छत्तीसगढ़